गन्ने पर MSP 12% बढ़ाने के पक्ष में UP सरकार

महाराष्ट्र में बकाया वसूलने के लिए किसान करेंगे आंदोलन

[जयश्री भोसले | पुणे]

उत्तर प्रदेश चीनी के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) में 12 पर्सेंट की बढ़ोतरी के हक में है, वहीं महाराष्ट्र में किसानों ने मिलों से बकाया रकम वसूलने के लिए आंदोलन करने का निर्णय किया है। वे मिलों से इस सीजन में पेरे गए गन्ने का दाम मांग रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के शुगर इंडस्ट्री एंड केन डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय भूसरेड्डी ने कहा, 'देश में जितनी चीनी का उत्पादन होता है, उसका 65 पर्सेंट हिस्सा संस्थागत खरीदार खरीदते हैं। अगर चीनी का एमएसपी (न्यूनतम बिक्री मूल्य) ₹29 से बढ़ाकर ₹32.50 प्रति किलो कर दिया जाता है तो कंज्यूमर पर बुरा असर नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'इस कदम से चीनी मिलों को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में भी मदद मिलेगी।'

निश्चित रूप से देशभर में गन्ने का बकाया बढ़ता जा रहा है। वहीं, सप्लाई ज्यादा होने से चीनी की कीमत कम बनी हुई है। उत्तर प्रदेश कमिश्नरेट के मुताबिक, मौजूदा साल में उत्तर प्रदेश में शुगर मिलों ने गन्ने का 40 पर्सेंट और पिछले साल का 96 पर्सेंट बकाया चुका दिया है। महाराष्ट्र में मिलों ने 15 दिसंबर तक ₹5,026 करोड़ में से ₹1,469.5 करोड़ का भुगतान किया था यानी इस मौजूदा साल के 29 पर्सेंट बकाये का वे भुगतान कर चुकी हैं। हालांकि, राज्य में ज्यादातर मिलों ने किसानों से गन्ना खरीदने के 50 दिन के बाद भी एक पैसा नहीं दिया है। महाराष्ट्र में गन्ना किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वाभिमानी शेतकारी किसान संगठन ने इसके विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। संगठन के फाउंडर लीडर राजू शेट्टी ने कहा, 'यदि गन्ने पर बकाया नहीं चुकाया गया तो हम 28 जनवरी को राज्य के शुगर कमिश्नरेट के मुख्यालय तक विशाल मोर्चा निकालेंगे।'

- **उत्तर प्रदेश** में शुगर मिलों ने गन्ने पर बकाया का 40% हिस्से का भुगतान किया
- **महाराष्ट्र** में शुगर मिलों ने 15 दिसंबर तक कुल बकाया 5,026 करोड़ रुपये में से 1,469.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है

टारगेट पूरा नहीं तो मिलों को सब्सिडी भी नहीं

केंद्र सरकार ने शुगर मिलों से कहा है कि यदि प्रति मिल के हिसाब से तय की गई क्वॉन्टिटी में मिलें एक्सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उन्हें शुगर के बफर स्टॉक पर कैरिंग कॉस्ट नहीं दी जाएगी। केंद्र ने इंडस्ट्री के लिए महीने के हिसाब से आवंटित की गई एक्सपोर्ट मियाद से ज्यादा शुगर निर्यात करने पर भी रोक लगा दी है। 31 दिसंबर को जारी किए गए कंज्यूमर और फूड मिनिस्ट्री के नोट के मुताबिक, 'तीसरे क्वॉर्टर (जनवरी-मार्च 2019) और चौथे क्वॉर्टर (अप्रैल-जून 2019) के बफर स्टॉक के लिए मिलों को सब्सिडी तभी मिलेगी, जब वे 2018-19 के शुगर सीजन के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगी।' इंडस्ट्री को बकाया चुकाने (गन्ना किसानों को किए जाने वाला भुगतान) में मदद करने की खातिर केंद्र सरकार ने पिछले साल 10 लाख टन शुगर का बफर स्टॉक किया था।

केंद्र सरकार को बफर स्टॉक रखने के लिए मिलों को ब्याज का भुगतान करना था। हालांकि, सरकार के इस कदम से ट्रेडर्स खुश थे, तो वहीं शुगर मिलर्स ने कहा कि घरेलू दाम पर एक्सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता।

Economic times

7/1/19